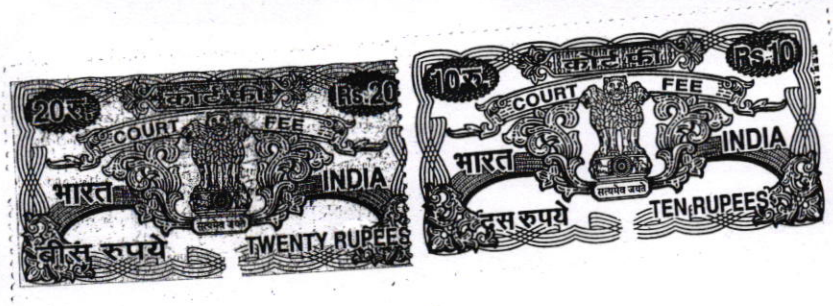

57

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

D-2238-I-16

दि.

रिवी क्र.

सन्

1. श्रीमती सुधा पत्नी प्रेमचन्द्र जैन
2. श्रीमती सुनीता पत्नी सुरेश जैन
3. संतोष कुमार त. रूपचन्द्र जैन
4. राजकुमार त. रूपचन्द्र जैन
5. किशुनलाल त. बाबूलाल साहू
6. कमलेश त. बाबूलाल साहू
7. सुधीर त. प्रेमचंद जैन

समस्त निवासी पृथ्वीपुर जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

दिनांक 5-7-16 को श्री बी. के. त्रिपाठी अभि० द्वारा प्रस्तुत

5-7-16

SO

5/7/16

वनाम् - आवेदक गण

1. मोहन त. बदली कुशवाहा
   निवासी मड़वा राजगढ़ तह. पृथ्वीपुर
   जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. काशीराम त. बदली कुशवाहा
   निवासी मड़वा राजगढ़ तह. पृथ्वीपुर
   जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. नाथूराम त. दम्मे कुशवाहा
   नि. जेरोंन खालसा तह. पृथ्वीपुर
   जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. चतुर्भुज त. उम्मेद कुशवाहा
   नि. जेरोंन खालसा तह. पृथ्वीपुर
   जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

अनावेदकगण

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा अपील प्रकरण क्र. 87/अपील/11-12 में दि 24/06/2016 को विधि विरूद्ध ढंग से पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता ।

महोदय जी,

उक्त उनमान पुनरीक्षण में आवेदक गण की प्रार्थना है कि आवेदक गणों के भूमि स्वामित्व की ... 0.221 है, जिसकी 7.74 की भूमि का बटवारा उक्त भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–2238–एक/16 जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.02.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क. 87/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगणों को पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया है। 2/ आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। तर्कों के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें आवेदकों को पक्षकार बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा उनको यह निर्देश दिए जाते हैं कि अनावेदकगण द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में आवेदकगण को पक्षकार के रूप में संयोजित करें एवं उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर विधिवत किया जाए। यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	